

**बिहार लोक सेवा आयोग**  
 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001  
**अंकेक्षक मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा**

विज्ञापन संख्या–67/2020, पंचायती राज विभाग, बिहार के अन्तर्गत अंकेक्षक (बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा) प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 29.08.2021 को सम्पन्न प्रारम्भिक परीक्षा में दिनांक 24.01.2022 को सफल घोषित अस्थर्थियों से मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु ऑनलाईन आवेदन आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।

लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिन्दी –100 अंक तथा सामान्य अध्ययन (दो पत्र), प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में रखना अनिवार्य है। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक ही पत्र होगा जो 300 अंकों का होगा।

(क) अनिवार्य विषय एवं उनके कोडः—

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र
3. सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र

(ख) ऐच्छिक विषय की सूची एवं उनके कोडः—

क्रम संख्या	विषय	Subject
1.	वाणिज्य	Commerce
2.	अर्थशास्त्र	Economics
3.	गणित	Mathematics
4.	सांख्यिकी	Statistics

उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन अस्थर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में किया जा चुका है। तदनुसार अस्थर्थी मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में (प्रारम्भिक परीक्षा में चयनित वैकल्पिक विषय) चयनित वैकल्पिक विषय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

1. प्रत्येक विषय की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी।
2. सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू में, से किसी एक भाषा में दिये जा सकते हैं; किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।
3. प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 एवम् पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 द्वारा निर्देशित है कि सामान्य हिन्दी में अर्हतांक 30 अंक है, जो अनिवार्य है कि किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जायेगी। शेष विषयों में परीक्षा के प्रत्येक चरण/स्तर पर समेकित रूप से कुल पूर्णांक का सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

4. **रिवितायाँ :** कुल रिवितायाँ की संख्या 373 है जिसका विस्तृत विवरण प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 12.10.2020 को प्रकाशित विज्ञापन में दिया गया है।
5. **मेधा सूची :** लिखित परीक्षा में सम्मिलित एवं उनके द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसके लिए 120 अंक निर्धारित हैं। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य हैं तथा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर ही मेधा सूची बनायी जायेगी, तदालोक में मेधाक्रमानुसार चयनित उम्मीदवारों का अंतिम परीक्षाफल नियमानुसार घोषित किया जाएगा।

### मुख्य परीक्षा हेतु आवश्यक निदेश

#### 1. आरक्षण:

- (i) जाति के आधार पर आरक्षण की लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को भिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में हैं अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अस्थर्थी (निवासी) को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (ii) (A) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :—
  - (a) जाति प्रमाण पत्र
  - (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
 (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :—
  - (a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र
 

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए

न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के दिन मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संबंधित प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे।

(iii) आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05
5.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)	07

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्वद से निर्गत निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि भान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2526, दिनांकके आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोनति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

नोट :- अंकेक्षक (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट जाति के आधार पर आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के आधार पर आरक्षण के लिए किये गये दावे के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा।

## 2. शुल्क:-

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रूपये

(ii) केवल विहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रूपये

(iii) विहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी विहार राज्य के स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो विहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनहिंत किया जा सकता है। विहार राज्य की स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

3. ऑनलाईन आवेदन पत्र से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	दिनांक 04.05.2022
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 26.05.2022
3.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी कागजात/प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	दिनांक 08.06.2022 के अपराह्न 5.00 बजे तक

मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में कठिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कठिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा अंकेक्षक प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा का ऑनलाईन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के

परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। आवेदक उक्त ऑनलाइन आवेदन के खाली बॉक्स में सूचना भरते हुए आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

(i) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/ परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(ii) मात्र शुल्क भुगतान कर देने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।

(iii) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(iv) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/ Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

#### 4. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्थाही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित स्वअभिप्रामाणित प्रमाण पत्र/कागजात के बल निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह 08.06.2022 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना- 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित स्वअभिप्रामाणित प्रमाण पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा तथा उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी।

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि हार्डकॉपी के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर अंकेकक्ष मुख्य प्रतियोगित परीक्षा (Auditor Competitive (Mains) Exam) अंकित है।

(iv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी की एक अन्य प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय हार्डकॉपी मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। आयोग को भेजने वाले आवेदन की हार्ड कॉपी का पावति (Receipt) अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

5. योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, पूर्व में भरे गये प्रारम्भिक परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि – 18.11.2020 के पूर्व का होना आवश्यक है।

6. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

7. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

8. आवेदक इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।

9. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट [www.bpscbih.nic.in](http://www.bpscbih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

10. उपर्युक्त विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

11. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

12. अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्थाही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रामाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में अनिवार्यतः क्रमवार संलग्न करेंगे:-

(i) मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए);

(ii) स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र;

(iii) स्नातक डिग्री का अंक पत्र;

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र;

(v) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र;

(vi) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिस्पर्ति प्रमाण पत्र;

(vii) निःशक्त उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत (वैध) निःशक्तता प्रमाण पत्र;

- (viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र;
- (ix) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र;
- (x) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हों तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate);
- (xi) फोटो युक्त पहचान पत्र;
13. साक्षात्कार के समय सभी प्रकार के प्रमाण-पत्रों को मूल प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा तथा इसके लिए अलग से कोई समय प्रदान नहीं किया जाएगा। मूल प्रमाण-पत्र से साक्षात्कार के समय सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। इसके लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
- उपर्युक्त हार्ड कॉपी एवं प्रमाण पत्र/कागजात को जिस लिफाफा में डालकर भेजेंगे उस लिफाफा के ऊपर पता पर्ची (Address Slip) प्रेषक पर्ची (Sender Slip) चिपका कर इस प्रकार भेजेंगे कि वह 08.06.2022 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बैली रोड), पटना-800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

W.M.4.27  
28

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना